भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – **110001**

सं.**576/3/2016**/एस डी आर-खंड ।। तारीख : **15** मार्च, **2016**

सेवा में,

1. असम
2. केरल
3. तमिलनाडु
4. पश्चिम बंगाल
5. पुडुचेरी

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी राज्य की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन – भिन्न रूप से सक्षम निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।

महोदय,

मुझे भिन्न रूप्से सक्षम निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में आयोग के तारीख **26.10.2007** और **24.03.2009** के दो पत्र, जिनकी संख्या **509/110/2004**-जेएस.। (प्रति संलग्न) है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। आपका ध्यान रिट याचिका (सिविल) सं. **2004** का **187**-डिसेबल्ड राइट्स ग्रुप बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख **05.10.2007** के उनके आदेश के निदेशों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त पत्र में अनुदेशों के अनुसार आपसे अनुरोध है कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों में निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करें :

- मतदान केंद्रों में उपस्थित मतदान कर्मियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शारीरिक रूप से विकलांग निर्वाचकों को कतार में प्रतीक्षा किए बगैर दूसरे निर्वाचकों से पहले मतदान केंद्र में प्रवेश करने हेतु प्राथमिकता दी जाए और सभी यथा अपेक्षित सहायता उन्हें मतदान केंद्र में प्रदान की जाए।
- ऐसे निर्वाचकों को मतदान केंद्र के भीतर अपनी व्हील चेयर को ले जाने के लिए पूरी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे मतदान केंद्रों में, जहां स्थायी रैम्प प्रदान नहीं किए गए हैं, वहां अस्थायी रैम्प प्रदान किए जाने चाहिए।
- मतदान कर्मियों को निर्वाचनों का संचालन नियम, **1961** के नियम **49**ड के उपबंधों, जिसमें अंधे/अशक्त निर्वाचक को मत डालने में सहायता करने के लिए उसके साथ किसी साथी को जाने, यदि वह ऐसा चाहता/चाहती है, की अनुमति का उपबंध किया गया है, के बारे में विशेष रूप से बताया जाना चाहिए।
- मतदान कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं में उन्हें विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों, उनके प्रति शिष्टतापूर्वक व्यवहार और मतदान केंद्र में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के बारे में सुग्राही बनाया जाना चाहिए।
- वाक् और श्रवण शक्ति में क्षीणता वाले निर्वाचकों का भी अन्य विकलांग व्यक्तियों की ही तरह विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त प्रदान की जा रही सुविधाओं का प्रेस रिलीज आदि के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त आपका ध्यान आयोग द्वारा तारीख 4 मार्च, **2016** के प्रेस नोट के पैरा **(3)(ख)** में यथा उद्घोषित भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए सहायता उपायों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

भवदीय,

(एन. टी. भूटिया)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – **110001**

सं.**509/110/2004**- जेएस। **(i)/3754-23** तारीख : **26** अक्टूबर, **2007**

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य सचिव

विषय : विकलांग निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं रिट याचिका (सिविल) सं. 2004 का 187 – डिसेबल्ड राइट्स ग्रुप बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश।

महोदय,

मुझे सार्वजनिक भवनों, जिसमें मतदान केंद्र अवस्थित किए जाते हैं, में रैम्प स्थापित किए जाने के बारे में आयोग की तारीख **21.04.2004** और **20.10.2005** के समसंख्यक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। आपका ध्यान उपर्युक्त रिट याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख **19.04.2004** के अंतरिम आदेश में विहित निदेशों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने तारीख **05.10.2007** के अपने आदेशों के तहत कतिपय निदेशों के साथ उपर्युक्त रिट याचिकाओं का निपटान किया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विकलांग निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुवधिाओं के बारे में समय-समय पर आयोग द्वारा जारी अनुदेशों पर गौर किया है और निदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन अनुदेशों का प्रभावी रूप से पालन किया जाए। इस संदर्भ में, आयोग के तारीख **20** अक्टूबर, 2005 के समसंख्यक पत्र **(**सुलभ संदर्भ के प्रति संलग्न**)** की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि सरकार/स्थानीय प्राधिकार ऐसे सार्वजनिक भवनों, जिनमें निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र अवस्थित होते हैं, में स्थायी रैम्प प्रदान करें। आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में इस कार्य को यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए और इसे पूरा किया जाना चाहिए। जैसा कि पूर्वके पहले उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक भवनों में स्थायी रैम्प प्रदान करने से नि:शक्त व्यक्ति **(**समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी**)** अधिनियम, **1995** के उपबंधों की उपेक्षा भी पूरी होती है।

3. कृपया इस पत्र और इसके संलग्नकों की पावती तुरंत भेजें और कार्य को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आयोग को सूचित भी करें।

भवदीय,

(के. एफ. विल्फ्रेड**)**
सचिव

प्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

भारत के उच्चतम न्यायालय में
सिविल मूल अधिकारिता
रिट याचिका (सिविल) सं. 2004 का 187

डिसेबल्ड राइट्स ग्रुप - वादी
बनाम
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य - प्रतिवादी
टीपी (सी) सं. 2005 का 718-719 के साथ

आदेश

रिट याचिका (सिविल) सं. 187/2004 डिजेबल्ड राइट्स ग्रुप, एक गैर सरकारी संगठन द्वारा इस न्यायालय को लिखे गए पत्र को जनहित में रिट याचिका के रूप में दर्ज किया गया। इस पत्र में अभिव्यक्त शिकायत निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु सुवधिाओं के अभाव से संबंधित थी। वादी ने (क) विकलांग व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए मतदान केंद्रों में काठ के रैम्प; (ख) दृष्टि बाधित मतदाताओं को नम्बर महसूस करने एवं अपने मत डालने के लिए उपयुक्त बटन को दबाने में समर्थ बनाने के लिए ब्रेल में लिखी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नम्बर; (ग) मतदान केंद्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पृथक कतार एवं विशेष इंतजाम; तथा (घ) विकलांग व्यक्तियों को कम से कम असुविधा से अपने मताधिकार का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए मतदान केंद्र में कार्मिकों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने और उनके प्रति शिष्ट होने की जरूरत का उल्लेख किया।

इन सुझावों को एमिक क्यूरे द्वारा दोहराया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने इन सुझावों का प्रत्युत्तर दिया है। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49-ढ तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा (अंधे/अशक्त निर्वाचकों के मतों को दर्ज करने के संबंध में) जारी 'रिटर्निंग आफिसर के लिए पुस्तिका' के पैरा 39) की ओर ध्यान आकृष्ट करने के अतिरिक्त, आयोग ने कहा कि उन्होंने, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश जारी किया है कि वे मतदान केंद्रों में जाने के लिए अपने व्हील चेयर्स का प्रयोग करने में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए रैम्प प्रदान करें, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पृथक कतार लगवाएं और मतदान कार्मिकों को विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के बारे में अवगत कराएं और उन्हें विकलांग व्यक्तियों के प्रति शिष्टतापूर्वक व्यवहार करने के लिए कहें। ब्रेल में क्रम संख्या के मुद्रण के बारे में सुझावों के संबंधमें निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के कल्याण कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर लगे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा ई सी आई एल और बी ई एल (ई वी एम का विनिर्माण करने वाली दो फर्मों) के तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से उपयुक्त एवं संतोषजनक निराकरण करेगा। यह उल्लेख किया जाता है कि विद्यमान ई वी एम को भी दृष्टि बाधित एवं बधिर निर्वाचकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

तारीख 19.04.2004 को न्यायालय ने निदेश दिया कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों, उन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के परामर्श से शहरों एवं शहरी क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों में काठ के रैम्प की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तारीख 20.10.2005 के पत्र के द्वारा निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश दिया कि वे सभी सार्वजनिक भवनों, जहां मतदान केंद्र अवस्थित किए जाते हैं, में उत्तम गुणवत्ता वाले स्थायी रैम्प की व्यवस्था करें। तारीख 23.04.2007 के शपथ-पत्र द्वारा, निर्वाचन आयोग ने पुष्टि की है कि तारीख 19.04.2004 के बाद आयोजित निर्वाचन में, मतदान केंद्रों में रैम्प प्रदान करने के लिए विशिष्ट अनुदेश जारी किए गए है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बैलेट बटन के किनारे ब्रेल नम्बर वाली नई ई वी एम का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने वादी द्वारा व्यक्त शिकायतों पर व्यापक रूप से कार्रवाई कर दी है।

वादी के विद्वान वकील ने कहा कि यद्यपि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुदेश जारी किए गए है, तथापि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनका अक्षरश: पालन नहीं किया जा रहा है और कई मतदान केंद्रों में सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। यह सच है कि निर्वाचन आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदेशों का प्रभावी रूप से पालन हो।

निर्वाचन आयोग के लिए उपाय यह है कि वह सभी मतदान केंद्रों में शारीरिक रूप से विकलांग निर्वाचकों के लिए विशेष सुविधाओं के बारे में मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए कार्मिकों को उपयुक्त निदेश दे। यह समय रहते किया जाना चाहिए और ऐसी सुविधाओं की उपलबधता के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति को पहले ही सुवधिाओं की जानकारी हो जाए और इस प्रकार वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाने हेतु प्रोत्साहित हों। ऐसी सुवधिाओं के अभाव के बारे में उपचारात्मक/भावी कार्रवाई के लिए संबंधित सरकार को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह उल्लेख किया जाता है कि इस निमित्त उपयुक्त निदेश दिए जाएंगे। हमारा विचार है कि उपर्युक्त निदेशों/प्रेक्षणों से विकलांग मतदाताओं की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तदनुसार, हम रिट याचिका का निपटान करते हैं।

<u>टी.पी.(सी) सं. 2005 का 718-19 :</u>

इस रिट याचिका के निपटान के मद्देनजर, इसी विषय पर बम्बई उच्च न्यायालय (रिट याचिका (पी आई एल) सं. 3063/2004) और झारखंड उच्च न्यायालय (रिट याचिका (पी आई एल) सं. 753/2005) के समक्ष लंबित दो याचिकाओं को अंतरित करने की कोई जरूरत नहीं है। संबंधित उच्च न्यायालय उक्त याचिकाओं पर कार्रवाई करें और उनका उपयुक्त रूप से निपटान करें। तदनुसार, अंतरण याचिकाओं का निपटान किया जाता है।

.....मुख्य न्यायधीश
(के. जी; बालाकृष्णन)

नई दिल्ली; .....न्यायधीश
5 अक्टूबर, 2007: (आर. वी . रविन्द्रन)

<u>विशेष कैम्प बैग द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – **110001**

सं.**576/3/2009**/एस डी आर/**3243-3277** तारीख : **24** मार्च, **2009**

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : विकलांग निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं – रिट याचिका (सिविल) सं. 2004 का 187 में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश – आयोग के अनुदेशों का प्रचार।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान आयोग के तारीख **12.03.2009** के पत्र सं. **509/110/2004**-जेएस.I/आर सी सी की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें आपसे अनुरोध किया गया था कि आयोग के तारीख **26.10.2007** के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों को अनुपालन हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाएं। यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में एक निदेश यह था कि विकलांग निर्वाचकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रेस में व्यापक प्रचार किया जाए ताकि वे इन सुवि धाओं से अवगत हो सकें जिससे ऐसे निर्वाचक अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित हों।

2. जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग आफिसर को उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने के लिए कहा जाए।

भवदीय,

(नरेन्द्र एन. बूटोलिया**)**
अवर सचिव